

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1,2 व 3 के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि दिनांक 18.8.97 तक प्राप्त ऐसे आवेदन पत्रों पर जिसमें 25.12.97 डिमाण्ड नोटिस जारी की जा चुकी है ऐसे मामलों में शासनादेश संख्या 2229/9-आ-4-97-260एन/97 दिनांक 26.9.97 के प्रस्तर-5(क) के प्राविधानों के तहत धनराशि जमा करने की कार्यवाही की जा सकती है परन्तु जहाँ डिमाण्ड नोटिस निर्गत नहीं हो सकी है उन प्रकरणों पर उक्त शासनादेश के प्रस्तर-5(ख) तथा 6(क) की व्यवस्था के तहत आवेदक की सहमति से दिनांक 1.4.94 के सर्किल रेट पर डिमाण्ड नोटिस जारी किये जाने में आपत्ति नहीं है। क्योंकि 30.11.91 के सर्किल रेट नये आदेशों के अभाव में उपलब्ध नहीं होंगे।

उपरोक्त बिन्दु संख्या-4 के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि जो आवेदन पत्र दिनांक 18.8.97 तक प्राप्त हो गये तथा उनमें डिमाण्ड नोटिस भी निर्गत कर दी गयी थी परन्तु निर्गत डिमाण्ड नोटिस त्रुटिपूर्ण थी और इस त्रुटि के लिए आवेदक उत्तरदायी नहीं या वरन् त्रुटि जनपदीय कार्यालय की थी तो ऐसे प्रकरणों में संशोधित डिमाण्ड नोटिस दिनांक 30.11.91 के सर्किल रेट पर निर्गत की जाये तथा संशोधित डिमाण्ड नोटिस जारी करने की दिनांक से नियमानुसार 3 माह (90 दिन) का समय आवेदक को प्रदान किया जाये।

उपरोक्त बिन्दु संख्या-5 के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि रिक्त नजूल भूमि का निस्तारण वर्तमान नजूल नीति के प्राविधानों के अनुसार यथास्थिति नीलामी/निविदा के माध्यम से किये जाने का प्राविधान हैं। अतः रिक्त नजूल भूमि का निस्तारण निर्धारित व्यवस्थानुसार अभियान के रूप में किया जाये। इसका एक्शन प्लान एवं प्रगति आख्या पूर्व निर्धारित प्रपत्रों पर शासन को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराई जाये।

बिन्दु संख्या 6 व 7 के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि पटटागत भूमि के फी-होल्ड के ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्ण धनराशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कर दी गयी है। तो ऐसे मामलों में विधिक डीड का निष्पादन यदि फी-होल्ड कर्ता सहमत हों तो वर्तमान दर स्टाम्प शुल्क लेकर किया जाये अन्यथा शासन के अग्रिम आदेशों की प्रतीक्षा की जाये। नीलामी/निविदा के प्रकरणों में विक्रय विलेख का निष्पादन वर्तमान रेट पर स्टाम्प ड्यूटी लेकर निस्तारित किया जाये।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 8 व 9 के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है ऐसे प्रकरणों में जिनमें आवेदक द्वारा देय किश्त मा० उच्च न्यायालय के दिनांक 15.10.97 के आदेश के परिप्रेक्ष्य में जमा नहीं की गयी है उनमें सामान्य व्याज सहित किश्त जमा करने पर कोई रोक नहीं है अतः ऐसे प्रकरणों में देय किश्त मूलधन तथा सामान्य व्याज धनराशि जमा करा ली जाये परन्तु देय किश्तों का समय से भुगतान न होने के फलस्वरूप पैनल इन्टरेस्ट की धनराशि जमा कराने के बिन्दु पर शासन के अग्रिम आदेशों की प्रतीक्षा की जाये।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि फी-होल्ड के सम्बन्ध में जो भी निर्णय लिए जायेंगे वे मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.10.97 के विरुद्ध मा० उच्चतम न्यायालय में दायर अनुज्ञा याचिका में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होंगे।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव

यदि पट्टे की अवधि समाप्त हो गई हो अथवा किसी उल्लंघन के कारण राज्य सरकार को उक्त भूमि पर पुनः प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो गया है तो फ़ी होल्ड के लिए पूर्व पटटाधारकों को अनिवार्य रूप से फ़ी होल्ड कराने हेतु 3 माह की समय सीमा निर्धारित करते हुए समयबद्ध नोटिस दिया जाएगा (उसके द्वारा आवेदन किए जाने के समय जो भी सर्किल रेट लागू होगा, उसी के आधार पर फ़ी होल्ड मूल्य आंकलित होगा। उदाहरणार्थ यदि इस शासनादेश से 2 माह के भीतर आवेदन करता है तो 30.11.91 के सर्किल रेट लागू होंगे)। यदि वह उक्त निर्धारित अवधि में फ़ी होल्ड नहीं करता है तो पट्टा विखंडित करने की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर रेन्ट कन्ट्रोल के किरायेदार के पक्ष में फ़ी होल्ड की कार्यवाही की जाएगी और वह किरायेदार सम्बन्धित भवन का डिप्रीसिएटेड मूल्य भूस्वामी/पटटेदार को उपलब्ध कराएगा। किरायेदार के पक्ष में अद्यतन सर्किल रेट पर फ़ी होल्ड की कार्यवाही की जाएगी जहाँ एक ही पटटागत भूखण्ड पर एक से अधिक रेण्ट कन्ट्रोल एकट के अन्तर्गत आवंटी अध्यासित है वहाँ उन सभी आवंटियों के द्वारा दिये जा रहे किराये के अनुपात में उन सभी की परस्पर सहमति से सम्बन्धित भूखण्ड के उनके बीच विभाजन सम्बन्धी शपथ पत्र प्राप्त कर ही फ़ी होल्ड की कार्यवाही की जाएगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त संशोधन एवं परिवर्धन को तात्कालिक प्रभाव से लागू करते हुए कार्यवाही की जाए तथा नीति का विस्तृत प्रचार एवं प्रसार किया जाए जिससे इसमें निहित प्राविधान सम्बन्धित पक्ष भली-भाँति समझकर इसका लाभ उठा सकें।

फ़ी होल्ड की समस्त कार्यवाही मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या: 32605/91 सत्य नारायण कपूर बनाम राज्य सरकार आदि में पारित निर्णय दिनांक 15.10.97 के विरुद्ध उ०प्र० सरकार द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या : 1557-59/98 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : इ-6-2286/दस-98 दिनांक 28-11-98 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या : 2268/9-आ-4-98-704 एन/97 तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
3. गोपन अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,

2. उपाध्यक्ष,

विकास प्राधिकरण,

लखनऊ/देहरादून।

महोदय,

शासन के द्वारा नजूल भूखण्डों को फी होल्ड करने की वर्तमान घोषित नीति के अन्तर्गत मैं अपना नजूल भखण्ड संख्या को फी होल्ड कराना चाहता/चाहती हूं। इसके साथ मैं स्वमूल्यांकन के आधार पर फी होल्ड हेतु आवेदित क्षेत्रफल के मूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने सम्बन्धी ट्रेजरी चालान संख्या : दिनांक आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर रहा/रही हूं। उक्त भूखण्ड मेरे पक्ष में फी होल्ड घोषित करने का कष्ट करें।

दिनांक :

भवदीय/भवदीया,

आवेदक का नाम एवं पत्र

व्यवहार का पता :-

.....
.....
.....

प्रपत्र संख्या-1

नजूल भूमि को फी होल्ड घोषित करने हेतु स्वमूल्यांकन के आधार पर आवेदन पत्र

1. नजूल भूखण्ड की संख्या

2. नजूल भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)

3. नजूल भूखण्ड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई

4. नजूल भूखण्ड का मूल पट्टा प्रारम्भ होने की तिथि

5. भूखण्ड के पट्टे की कुल अवधि समाप्त होने की तिथि

6. पट्टा चालू है अथवा शाश्वत

7. यदि पट्टा चालू है तो पट्टा कब तक के लिए नवीनीकृत है।

8. क्या पट्टे की शर्तों के अनुसार अद्यतन लीज रेन्ट जमा कर दिया गया है यदि हाँ, तो कब तक का लीज रेन्ट जमा किया गया है।

9. पट्टा किस प्रयोजन हेतु स्वीकृत हुआ था।

10. पट्टागत भूमि का वर्तमान उपयोग।

11. क्या मूल पट्टे की शर्तों का किसी प्रकार उल्लंघन तो नहीं किया गया।

12. पट्टेदार का नाम

(यदि पट्टा संयुक्त पट्टेदारी में है तो समस्त संयुक्त पट्टेदारों का नाम)

13. पट्टेदार का स्वामित्व

1. मूल पट्टा किसके पक्ष में स्वीकृत हुआ ?

2. वर्तमान में पट्टाधिकार किस प्रकार प्राप्त हुआ

(प्रमाण के लिए पट्टे की स्पष्ट प्रतिलिपि एवं अन्य संगत अभिलेख जो पट्टाधिकार प्रमाणित करते हो, भी संलग्न किये जायें)

14. फी होल्ड हेतु आवेदन पत्र दिनांक को

निर्धारित सामान्य दर के आधार पर देय धनराशि का 25 प्रतिशत निम्नानुसार

स्वमूल्यांकन के आधार पर आंकलित धनराशि के ट्रेजरी चालान के साथ संलग्न किये जायें।

स्वमूल्यांकन की धनराशि त्र सम्बन्धित भूखण्ड का निर्धारित सर्किल रेट (प्रति वर्ग मीटर) ग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) ग फी-होल्ड के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग हेतु निर्धारित दर का 40 या 60% x 25%

=x.....x..... 25 रु0

100 X 100

साक्षी :

(1)

(2)

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त प्रविष्टियां सत्य हैं और मेरे द्वारा कोई बात छुपाई नहीं गई है और किसी बात में त्रुटि पाये जाने पर मैं उत्तरदायी होऊँगा।

पट्टेदार के हस्ताक्षर

पट्टेदार के हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोग के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रविष्टियों का सत्यापन सम्बन्धित अभिलेखों से कर लिया गया है और सभी प्रविष्टियां सही पायी गई हैं।

सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर
(उपाध्यक्ष, लखनऊ/देहरादून विकास प्राधिकरण/जिलाधिकारी द्वारा नामित)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रविष्टियों का सत्यापन स्थल निरीक्षण के आधार पर कर लिया गया है और सभी प्राविष्टियां सही पायी गई हैं।

सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर
(उपाध्यक्ष, लखनऊ/देहरादून विकास प्राधिकरण/जिलाधिकारी द्वारा नामित)

उपरोक्त पट्टेदार नजूल भूमि संख्या को फी होल्ड कराने हेतु पात्र हैं/नहीं हैं।

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी

नजूल भूखण्ड संख्या क्षेत्रफल वर्गमीटर के लिए ₹0 वर्गमीटर की दर से भूखण्ड का कुल मूल्य ₹0.....
..... निर्धारित हुआ जिसका आद्यतन मेमो संख्या दिनांक को पट्टेदार को भेजा गया। पट्टेदार ने आपेक्षित धनराशि ट्रेजरी चालान संख्या दिनांक द्वारा सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा कर दी गई है।

हस्ताक्षर

(उपाध्यक्ष, लखनऊ/देहरादून विकास प्राधिकरण/
जिलाधिकारी द्वारा नामित)
प्रपत्र संख्या-2

पट्टेदार द्वारा नामित व्यक्ति के प्रयोगतार्थ

शासनादेश संख्या 1258/9-आ-4-97-629 एन0/95 (टी०सी०) दिनांक 15 जुलाई, 1997

संलग्नक

1. नजूल भूखण्ड का विवरण।

(1) भूखण्ड संख्या एवं स्थिति

(2) नजूल भूखण्ड के सामने स्थिति सङ्क की चौड़ाई

(3) पट्टागत सम्पूर्ण भूखण्ड का क्षेत्रफल

(मूल पट्टे का प्रमाणित प्रति सहित)

2. सम्बन्धित व्यक्ति का विवरण जिसके पक्ष में फी होल्ड किया जाना प्रस्तावित है।

(1) भूखण्ड का क्षेत्रफल मानचित्र सहित।

(2) विक्रय पत्र/विक्रय अनुबन्ध आदि से सम्बन्धित विलेख की प्रमाणित प्रति

3. यदि पट्टागत भूमि हस्तान्तरित कर दी गयी है तो उसका विवरण

4. (क) विक्रय विलेख/विक्रय अनुबन्ध आदि से सम्बन्धित विलेख की प्रमाणित प्रति

हस्तान्तरणी/केता का नाम

हस्तान्तरित

क्षेत्रफल

हस्तान्तरण की तिथि

कब्जा देने की तिथि

1.

2.

3.

(ख) हस्तान्तरण / कब्जा देने की कार्यवाही पट्टे की शर्तों के अनुसार की गयी है अथवा नहीं।

5. पट्टे की किसी शर्त का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। यदि उल्लंघन हुआ हो तो उसका विवरण।

6. पट्टागत भूमि का वर्तमान में भू-उपयोग एवंभूमि का दिनांक को निर्धारित सर्किल रेट।

7. फी होल्ड हेतु आवेदन-पत्र दिनांक के निर्धारित सामान्य दर के आधार पर देय धनराशि का 25 प्रतिशत निम्नानुसार स्वमूल्यांकन के आधार पर आंकित धनराशि के ट्रेजरी चालान के साथ संलग्न किये जायें।

स्वमूल्यांकन की धनराशि = सम्बन्धित भूखण्ड का निर्धारित सर्किल रेट ग क्षेत्रफल ग फी होल्ड के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग हेतु निर्धारित दर का 25 प्रतिशत

8. पट्टागत भूमि नामित व्यक्ति के पक्ष में फी होल्ड किये जाने हेतु पट्टाधारक की निर्धारित स्थाम्प पेपर पर सहमति (नोटरी द्वारा प्रमाणित)

9. नामित व्यक्ति द्वारा भूमि को फी होल्ड कराने हेतु उपलब्ध कराया गया सहमति पत्र निर्धारित स्थैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा प्रमाणित)

10. नामित व्यक्ति का निर्धारित स्थैम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र

(इन्डेमनिटी बाण्ड) निर्धारित स्थैम्प पेपर पर

11. नजूल भूखण्ड के केता जिनके प्रकरण में पट्टाधारक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया गया है उन मामलों में निम्न सूचना अभिलेख संलग्न किया जाना है।

(1) पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति एवं स्टाम्प पेपर पर शासन की नीति के अनुसार फी होल्ड कराने विषयक सहमति पत्र।

(2) केता की ओर से रु0 100/- के स्टाम्प पेपर पर क्षति-पूर्ति बन्ध पत्र (इन्डेमनिटी बाण्ड)

12. पट्टागत अथवा पूर्व पट्टागत नजूल भूमि के ऐसे मामलों, जहां पट्टाधारक अथवा उसके विधिक उत्ताधिकारी द्वारा भूखण्ड अथवा उसके अंश भाग को विक्रय करने हेतु पंजीकृत विक्रय अनुबन्ध किया गया है, में निम्न सूचना उपलब्ध कराया गया है।

(1) पंजीकृत विक्रय अनुबन्ध की प्रमाणित प्रति एवं शासन की नीति के अनुसार फी होल्ड कराने हेतु अनुबन्धकर्ता की स्टाम्प पेपर पर लिखित सहमति।

(2) प्रस्तावित केता/अनुबन्धकर्ता की ओर से निर्धारित स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि यदि पट्टेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है और पट्टेदार या उसके विधिक उत्ताधिकारी की ओर से अनुबन्ध की शर्तों को लागू करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय अथवा किसी सक्षम न्यायालय में रिट याचिका/वाद प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय के निर्णय के अनुपालन का उत्तरदायित्व अनुबन्धकर्ता/प्रस्तावित केता का होगा।

(3) जिन मामलों में पट्टाधारक द्वारा स्टाम्प पेपर पर लिखित सहमति उपलब्ध करा दी जाती है, उन मामलों में भी क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र (इन्डेमनिटी बाण्ड) रु0 100/- के स्टाम्प पर अनुबन्धकर्ता/प्रस्तावित केता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

प्रेषक, श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में, 1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ / देहरादून।

आवास अनुभाग—4

लखनऊ : दिनांक : 25 जनवरी, 1999

विषय : पट्टागत नजूल भूमि के फी—होल्ड के सम्बन्ध में सङ्क विस्तार से प्रभावित भूमि तथा कृषि एवं बागवानी प्रयोजनार्थ पट्टो के विषय में स्पष्टीकरण।

महोदय,

आप अवगत हैं कि जिस पट्टागत भूखण्डों का कुछ अंश महायोजना में सङ्क विस्तार से प्रभावित हैं उनके सन्दर्भ में शासनादेश संख्या—2268 / 9—आ—3—98—704एन / 97, दिनांक 1.12.98 के प्रस्तर—3 के अनुसार नीति निर्धारित की गयी है। शासन के संज्ञान में उक्त व्यवस्था से आच्छादित कुछ ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें पट्टागत भूमि का अंश भाग सङ्क विस्तार से प्रभावित है, परन्तु प्रभावित भू—भाग पर पट्टेदार / पूर्व पट्टेदार का पक्का निर्माण है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करना है कि ऐसे मामलों में सङ्क विस्तार से प्रभावित भूमि पर सम्बन्धित पक्ष का यदि पक्का निर्माण है तो उस प्रभावित भू—भाग का कब्जा प्राप्त करने के बजाय फी—होल्ड की कार्यवाही से पूर्व सम्बन्धित पक्ष से इस आशय का शपथ—पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि भविष्य में जब भी सङ्क विस्तार की आवश्यकता होगी तो वह सम्बन्धित भू—भाग का कब्जा शान्तिपूर्वक शासन को दे देगा। सङ्क विस्तार से सम्बन्धित ऐसी पट्टागत भूमि जिस पर निर्माण नहीं है और उसका कब्जा प्राप्त करने में कठिनाई नहीं है तो उस पर कब्जा प्राप्त कर जिस भी विभाग की सङ्क है उसे इस भू—भाग का कब्जा अवश्य प्राप्त करा दिया जाये जिससे कि भविष्य में इस भू—भाग पर अवैध कब्जा न हो सके।

कतिपय स्रोतों से शासन में यह जिज्ञासायें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें पट्टा कृषि, बागवानी, प्रयोजन हेतु दिया गया था, क्या वह इस भूमि को वर्तमान नीति के तहत फी—होल्ड करा सकते हैं। इस सन्दर्भ में मुझे यह स्पष्ट करना है कि कृषि एवं बागवानी की पट्टागत नजूल भूमि को फी—होल्ड में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही शासनादेश दिनांक 1.12.98 में निहित व्यवस्थानुसार महायोजना में निर्धारित भू—उपयोग के अनुसार की जाय परन्तु जहाँ महायोजना नहीं है वहाँ फी—होल्ड की कार्यवाही पट्टे में अंकित भू—उपयोग (कृषि / बागवानी) जो अनावासीय श्रेणी के अन्तर्गत आता है, के अनुसार की जायेगी।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या—367(1) / 9—आ—4—99 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- (1). समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (2). प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग / सचिव, नगर विकास विभाग / सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र०।
- (3). समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश
- (4). मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
- (5). समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

प्रेषक, श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, 1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ / देहरादून।

आवास अनुभाग—4

लखनऊ : दिनांक : 25 जनवरी, 1999

विषय, स्थानीय निकायों के किरायेदारों के पक्ष में भूमि के फी—होल्ड के सम्बन्ध में मार्गदर्शन।

महोदय,

आप अतगत हैं कि विषयगत प्रकरणों में फी—होल्ड की व्यवस्था शासनादेश संख्या—2268 / 9—आ—4—98—704 / एन / 97, दिनांक 1.12.98 से लागू की गई थी।

शासन के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आये है कि शासनादेश दिनांक 2.12.92 के प्रस्तर—2(2) की व्यवस्थानुसार विभिन्न जनपदों में फी—होल्ड आवेदन पत्र लम्बित है तथा कुद आवेदन पत्रों में पूर्व में डिमाण्ड नोटिस जारी होने के उपरान्त फी—होल्ड हेतु सम्पूर्ण धनराशि भी आवेदक द्वारा जमा की जा चुकी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि शासनादेश दिनांक 1.12.98 ऐसे प्रकरणों में स्थानीय निकायों को फी—होल्ड कराने का प्रथम अवसर दिनांक 31.12.98 तक प्रदान किया गया है और इसकी अवधि शासनादेश संख्या—2772 / 9—आ—4—98—704 एन / 97, दिनांक, 31.12.98 द्वारा दिनांक 31.1.99 तक बढ़यी जा चुकी है। अतः पूर्व नीति के तहत प्राप्त उक्त प्रकृति के आवेदन पत्रों पर फी—होल्ड की कार्यवाही शासन के अगले आदेशों तक स्थागित रखी जाय, भले ही अवेदकों द्वारा फी—होल्ड की सम्पूर्ण धनराशि जमा की जा चुकी हो।

कृपया उपर्युक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव

संख्या—368(1 / 9—आ—4—99)तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- (1). समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (2). समस्त स्थानीय निकाय, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- (3). गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान

संयुक्त सचिव

प्रेषक, श्री अतुल कुमार क गुप्ता,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में, 1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
 2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ / देहरादून।

आवास अनुभाग—4

विषय, : नजूल भूमि की फी—होल्ड नीति विषयक शासनादेश दिनांक 1.12.98 के प्रस्तर—3 का स्पष्टीकरण—आशिक भाग को फी—होल्ड कराया जाना।

महोदय,

शासनादेश संख्या—2268 / 9—आ—4—98—704एन0 / 97, दिनांक 1 सितम्बर, 1998 के प्रस्तर—3 में शासनादेश दिनांक 26 सितम्बर, 1997 के प्रस्तर—3 (1)में पट्टागत भूमि के अंश भाग को फी—होल्ड कराये जाने की व्यवस्था को यथावत रखा गया है। इस सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त शासनादेश 26 सितम्बर, 1997 के प्रस्तर—3 की व्यवस्था ऐसी नजूल भूमि के सन्दर्भ में है जो दो सङ्को के मध्य (कार्नर) स्थित है तदनुसार जूल भूमि के फी—होल्ड विषयक प्रकाशित मार्गदर्शिका के पृष्ठ—6 के बिन्दु संख्या—4 “चालू पट्टे के अंश भाग को फी—होल्ड करना” में अंकित की गयी टिप्पणी के विषय में स्पष्ट किया जाता है कि दो सङ्को के मध्य (कार्नर)स्थित भूखण्डों के आंशिक भाग के फी—होल्ड कराये जाने की स्थिति में ही वर्णित शपथ—पत्र इस हेतु लिया जायेगा कि भविष्य म आवशेष भाग में फी—होल्ड कराये जाने की स्थिति में निर्धारित फार्मूले से फी—होल्ड हेतु धनराशि आंकित की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस शपथ—पत्र का प्रयोजन यह नहीं है कि भविष्य में फी—होल्ड कराने का “कमिटमेन्ट” करा लिया जाय, बल्कि यह कि भविष्य में कराये जाने पर अवशेष भाग पर भी वही फार्मूला लागू रहेगा।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या—369(1) / 9—आ—4—99 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- (1). समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (2). समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
- (3). वित्त (ई)—6, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4). गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

प्रेषक, श्री राजकुमार सिंह,
 अनुसचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन।
 सेवा में, 1. समस्त जिलाधिकारी,
 उत्तर प्रदेश।
 2. उपाध्यक्ष,
 विकास/प्राधिकरण,
 लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग-4

विषय, : पट्टागत नजूल भूमि के फी-होल्ड विक्रय विलेख के निष्पान में स्टैम्प छूटी में छूट-विलेख का निष्पादन।

लखनऊ : दिनांक : 29 जनवरी, 1999

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पट्टागत नजूल भूमि को फी-होल्ड में परिवर्तित किये जाने के क्रम में फी-होल्ड विक्रय विलेख निष्पादित किये जाने पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट दिये जाने हेतु शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 1999 (प्रति संलग्न) निर्गत की जा चुकी है। नजूल भूमि को फी-होल्ड किये जाने विषयक विधिक डीड का प्रारूप शासनादेश संख्या-1803/9-आ-4-95-293 एन/90 दिनांक 26 सितम्बर, 1995 के माध्यम से पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है। चूँकि शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704 एन/97, दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि फी-होल्ड की समस्त कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी। अतः निष्पादित की जाने वाली फी-होल्ड विषयक विधिक डीड में उक्त शर्त का भी समावेश कर दिया जाय।

भवदीय,

राजकुमार सिंह
अनुसचिव

संख्या-549(1) / 9-आ-4-99 तद दिनांक

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

आज्ञा से,

राजकुमार सिंह
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-5

संख्या : क0स0वि0 5-5808 / 11-99-500 (80) / 98

लखनऊ : दिनांक : 11 जनवरी, 1999

// अधिसूचना //

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1899)की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल 01 दिसम्बर, 1998 से एक वर्ष की अवधि के लिए उक्त भूमि में पट्टाधृति अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व आधिकारों में परिवर्तन करने के प्रयोजन के लिए नजूल भूमि के पट्टेदार के पक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित लिखित में दी गई प्रतिफल की धनराशि से ऐसे नजूल भूमि के बाजर मूल्य तक अधिक हो, पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की सीमा तक कम करते हैं :

परन्तु यह कि यह अधिसूचना नजूल भूमि में नीलाम या निविदा आमंत्रण के द्वारा पूर्ण स्वामित्व अधिकार स्वीकृत करने से सम्बन्धित मामलों में लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए शब्द "प्रतिफल" का तात्पर्य ऐसे पूर्ण स्वामित्व प्रभार और उस पर ब्याज, यदि कोई जो, जो अज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पट्टाधृति अधिकारों पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए लिया गया हो से है।

आज्ञा से,

हरीश चन्द्र गुप्त
प्रमुख सचिव

संख्या-क0स0वि0 5-5808(1)11-99-500 (80) / 98 तद दिनांक

प्रतिलिपि हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इसे दिनांक 12 जनवरी, 1999 के असाधारण गजट के भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें, तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को तथा 50 प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 इलाहाबाद के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

हरीश चन्द्र गुप्त
प्रमुख सचिव

संख्या : क0स0वि0 5-5808(2) / 11-99-500 (80) / 98 तद दिनांक

प्रतिलिपि हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महानिरीक्षक/अपर सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. विधायी अनुभाग-1।

आज्ञा से,

हरीश चन्द्र गुप्त
प्रमुख सचिव

प्रेषक,
श्री यज्ञवीर चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
1. समस्त जिलाधिकारी,
समस्त प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
देहरादून / लखनऊ।

आवास अनुभाग—4

लखनऊ : दिनांक 02 फरवरी, 1999

विषय : नजूल भूमि के फी—होल्ड के सन्दर्भ में शर्तों के उल्लंघन के आधार पर पूर्व में जारी किये गये अतिरिक्त डिमान्ड नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नजूल भूमि के फी—होल्ड के ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्व नीति के तहत सामान्य दर पर फी—होल्ड हेतु डिमान्ड नोटिस निर्गत की गयी और इसके सापेक्ष सम्बन्धित पक्ष द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दी गयी तत्पश्चात पट्टे की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर पुनः अतिरिक्त डिमान्ड नोटिस निर्गत की गयी और उसके सापेक्ष द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं की गयी हो तो ऐसे प्रकरणों में पूर्व में जमा धनराशि पर ही फी—होल्ड की कार्यवाही की जाय तथा पुनः निर्गत अतिरिक्त नोटिस को निरस्त किया जाय।

2. जिन प्रकरणों में पूर्व नीति के तहत सम्पूर्ण धनराशि जमा की जा चुकी है उनमें विधिक डीड के निष्पादन की कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाय। यह कार्यवाही प्रथमिकता पर करते हुए एक माह में पूरा कराया जाय। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि यदि इस प्रकार के प्रकरणों को तत्काल निस्तारण नहीं किया जाता है और विवाद किसी न्यायालय में जाता है तो सम्बन्धित नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव

संख्या—509(1) / 9—आ—4—99 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1). समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
- (2). समस्त स्थानीय निकाय, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- (3). वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग—6
- (4). गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजकुमार सिंह
अनु सचिव

संख्या—544(1) / 9—आ—4—99 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- (1). समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
- (2). वित्त (व्यय नियन्त्रक) अनुभाग—6, उ0प्र0 शासन।
- (3). गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजकुमार सिंह

अनु सचिव

प्रेषक,
श्री यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ / देहरादून।

आवास अनुभाग—4

विषय, नजूल भूमि के फी—होल्ड के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि नजूल भूमि की फी—होल्ड नीति शासनादेश संख्या—2268 /—आ—4—98—एन / 97 दिनांक 1 दिसम्बर, 1999 से लागू की गई तथा इस शासनादेश के प्रस्तर-2 (1) में नि जनपदों में दिनांक 30.11.91 के सर्किल रेट दिनांक 30.1.90 से 29.11.91 के मध्य परिवर्तित हुए हैं, वहाँ फी—होल्ड के मूल्य में 30 प्रतिशत की अतिरिक्त रियायत भी अनुमन्य की गई है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि कतिपय जनपदों में जहाँ 30.11.91 के सर्किल रेट 29.11.91 से 30.11.90 के मध्य परिवर्तित हुए हैं वहाँ 30 प्रतिशत की छूट देने के उपरान्त 30.11.91 का सर्किल रेट, 30.11.91 के पूर्व निर्धारित सर्किल रेट से भी कम हो जाता है। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिन जनपदों में दिनांक 30.11.91 के सर्किल रेट 30 प्रतिशत की छूट देने के उपरान्त पूर्व निर्धारित सर्किल रेट से भी कम हो जाता है तो वहाँ 30.11.91 के सर्किल रेट में 30 प्रतिशत की छूट नहीं दी जायेगी।

कृपया तदनुसार फी—होल्ड प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

संख्या—245(1) / 9—आ—4—99 तद दिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- (1). समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
- (2). वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग—6।
- (3). गोपन अनुभाग—1
- (4). गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

प्रेषक, **श्री अतुल कुमार गुप्ता,**
 सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन।
 सेवा में, 1. समस्त जिलाधिकारी,
 उत्तर प्रदेश।
 2. उपाध्यक्ष,
 विकाश प्राधिकरण,
 लखनऊ / देहरादून।

आवास अनुभाग—4

विषय : पट्टागत नजूल भूमि के फी—होल्ड के संबंध में सड़क विस्तार से प्रभावित भूमि तथा कृषि एवं बागवानी प्रयोजनार्थ पट्टों के विषय में स्पष्टीकरण।

महोदय,

आवास अनुभाग—4, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 367/9—आ—4—99—704एन/97 दिनांक 25 जनवरी, 1999 के क्रम में यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश के प्रस्तर 3 में कृषि एवं बागवानी के साथ अन्य समतुल्य की पट्टागत भूमि भी सम्मिलित है। अर्थात् “कृषि एवं बागवानी के स्थान पर” “कृषि एवं बागवानी एवं अन्य समतुल्य श्रेणी” तथा “भू—उपयोग (कृषि/बागवानी)” के स्थान पर “भू—उपयोग (कृषि/बागवानी/अन्य समतुल्य)” पढ़ा जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
 सचिव

संख्या—906(1) / 9—आ—4—99 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1). समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (2). प्रमुख सचिव, लोक निर्माण / सचिव, नगर विकास / सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
- (3). समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
- (4). मुख्य अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
- (5). समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

राज कुमार सिंह
 अनु सचिव

प्रेषक, श्री अतुल कुमार गुप्ता,
 सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में, 1. समस्त मण्डलायुक्त,
 उत्तर प्रदेश।
 2. समस्त जिलाधिकारी,
 उत्तर प्रदेश।
 3. उपाध्यक्ष,
 विकास प्राधिकरण,
 लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग—

लखनऊ : दिनांक : 03 मार्च, 1999

विषय : नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-481/9-आ-4-99-704एन/97 टी.सी. (अ) दिनांक 30 जनवरी, 1999 में फी-होल्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा में विस्तार।

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि को फी-होल्ड में परिवर्तित किये जाने हेतु सरलीकृत नीति शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-704एन/97 दिनांक 1.12.98 को माध्यम से लागू की गयी थी तथा इस नीति के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.1.99 को शासनादेश संख्या-481/9-आ-4-99-704 एन/97 टी.सी. (अ) दिनांक 30 जनवरी, 1999 द्वारा दिनांक 1.3.99 तक बढ़ायी गयी थी। तदनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विशेष परिस्थिति में उक्त नीति के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की समय सीमा को दिनांक 12 मार्च, 1999 तक बढ़ाया जाता है।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या— 988/9-(1)/9-आ-4-99 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1). समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
- (1). वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-6।
- (1). गोपन अनुभाग-1

गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

प्रेषक,
श्री यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में
1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण, लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग—4

लखनऊ :दिनांक : 17 मार्च, 1999

विषय : पूर्व नजूल नीति शासनादेश संख्या—3632 / 9—आ—4—92—293 एन / 90, दिनांक 20 दिसम्बर, 1992 की व्यवस्थानुसार स्थानीय निकायों के किरायेदारों के नजूल भूमि के फी—होल्ड हेतु लम्बित प्रार्थना—पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश दिनांक 01—12—98 के प्रस्तर—5 में स्थानीय निकायों द्वारा नजूल भूमि अथवा उस पर अनाधिकृत रूप से निर्मित किये गये आवासीय/व्यवसायिक भवनों को किराये/अरक्षाई पटटे पर उठाये गये मामलों में फी—होल्ड कराने का पहला अधिकार स्थानीय निकायों को प्रदान किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त श्रेणी के स्थानीय निकाय के किरायेदार/पट्टेदार के यदि कोई फी—होल्ड प्रार्थना—पत्र पूर्व नजूल नीति शासनादेश 2.12.92 के प्रस्तर—2(2) की व्यवस्थानुसार लम्बित है तो सम्बन्धित भूमि/भवन के फी—होल्ड हेतु स्थानीय निकायों द्वारा नई नीति के अन्तर्गत आवेदन कर देने पर उन्हें फी—होल्ड के अधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा। ऐसे सभी प्रार्थना—पत्रों को शासनादेश संख्या—544 / 9—आ—4—99—704 एन / 1997, दिनांक 03 फरवरी, 1999 के प्रस्तर—3 की व्यवस्थानुसार शासन की स्वीकृति/निर्णय हेतु सन्दर्भित किया जायेगा और शासन से निर्णय होने के उपरान्त इन प्रकरणों में फी—होल्ड की कार्यवाही की जायेगी।

3— ऐसे सभी प्रस्ताव संलग्न चेक लिस्ट में अकित बिन्दुओं पर वांछित सूचना/अभिलेखों के साथ भेजे जायेंगे।

4— जिलाधिकारी/सम्बन्धित उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण इस शासनादेश की प्रतियां कृपया अपने स्तर से जनपद के समस्त निकायों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

संख्या—917(1) / 9—आ—4—99 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- (1). समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
- (2). प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

राजकुमार सिंह
अनु सचिव

चेक लिस्ट

- (1) फी-होल्ड प्रस्ताव के अन्तर्गत आने वाले
(क) उक्त भूखण्ड/भूखण्डों की संख्या—
(2) फी-होल्ड हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल—
(3)फी-होल्ड हेतु आवेदकों की संख्या—
(4)महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग—
(5) नजरी नकशा (जिसमें पूर्ण स्थिति अलग-अलग रंगों से दर्शायी गयी हो)—
(6) भूखण्ड/भूखण्डों पर निर्मित भवन/भवनों/दुकानों की संख्या तथा स्थानीय निकाय को उससे प्राप्त होने वाली वार्षिक आय तक विवरण—
(7)किरायेदारी कब से चली आ रही है।
(8) फी-होल्ड के फलस्वरूप प्रप्त होने वाली राशि—
(9) सम्बन्धित स्थानीय निकाय का मत—
(10) फी-होल्ड हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ/देहरादून की फी-होल्ड के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या/संस्तुति।
- नोट :-एक ही भूखण्ड/स्थल के किरायेदारों के समस्त प्रकरणों पर आख्या समन्वित रूप से एक साथ ही दी जाय।
-

प्रेषक, श्री यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, 1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण, लखनऊ / देहरादून।

आवास अनुभाग—4

विषय : नजूल भूमि के फी—होल्ड की कार्यवाही स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि रिट याचिका संख्या—10817 / 99, फूल गुप्ता बनाम राज्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद बैच्य, इलाहाबाद, द्वारा पारित निर्णय दिनांक—9.3.99 में नजूल भूमि को फी—होल्ड में परिवर्तित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या—2268 / 9—आ—4—98—704—एन / 99 दिनांक :01.12.1998 के कियान्वयन को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।

कृपया तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

लखनऊ : दिनांक : 22 मार्च, 1999

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

प्रेषक, श्री यज्ञवीर सिंह चौहान,
 विशेष सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन।
 सेवा में समस्त जिलाधिकारी,
 उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग—4

विषय : फी—होल्ड हेतु धनराशि का आंकलन।

लखनऊ : दिनांक : 04 फरवरी, 1999

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या—2268 / 9—आ—4—98—704 एन / 97, दिनांक 01 दिसम्बर, 1998 को व्यवस्थार्भगत पट्टागत / किराये पर आवंटित नजूल भूमि के फी—होल्ड हेतु धनराशि के आंकलन के सम्बन्ध में विभिन्न जिलाधिकारियों द्वारा शासन को मार्गदर्शन दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में फी—होल्ड की गणना हेतु निम्न उदाहरण किया जा रहा है :—

1— माना कि दिनांक 30 नवम्बर, 1991 का सर्किल रेट 100/- रु० प्रति वर्ग मीटर

2— भूखण्ड का क्षेत्रफल = 10 वर्ग मी०

3— भू—उपयोग = आवासीय

स्वमूल्यांकन की धनराशि का निर्धारित = $10 \times 40 \times 100 \times 25 \times 100 =$ रु० 100

नोट :— जिन जनपदों में सर्किल रेट 30.11.90 से मध्य परिवर्तित हुये हैं वहाँ 30 प्रतिशत कीछूट क्षमूल्यांकन की धनराशि परदेय नहीं है अपितु 30 प्रतिशत की छूट फी—होल्ड देय धनराशि पर दी जायेगी तथा स्वमूल्यांकन की धनराशि फी—होल्ड हेतु देय धनराशि में समयोजित की जायेगी।

2— फी—होल्ड हेतु देय धनराशि $100 \times 10 \times 40 / 100 = 400$

(क) स्वमूल्यांकन की धनराशि समायोजित करने पर डिमांड नोटिस में शुद्ध देय धनराशि = 400—100 = रु० 300

(ख) यदि सर्किल रेट में 30 प्रतिशत की छूट अनुमन्यू नहीं है तो छूट की धनराशि = $400 \times 30 / 100 = 120$

शुद्ध देय धनराशि 400—100 = 280 रु०

एकमुश्त 90 दिन के अन्दर जमा करने पर छुट 280 रु० 20% 100 रुपये

शुद्ध देय धनराशि रु० 280—56 = 224 रु०

नामांकन की दशा में 5 प्रतिशत नामांकन शुल्क फी—होल्ड हेतु देय धनराशि पर लिया जाएगा।

अर्थात् $280 \times 5 / 100 = 14$ रु०

तदनुसार नामांकन शुल्क जोड़ते हुए डिमांड जोट में देय धनराशि 28014 त्र294 रु०

जिन जनपदों में सर्किल रेट में 30 प्रतिशत की छूट देय नहीं हैं वहाँ 5 प्रतिशत नामांकन शुल्क उपराक्तानुसार शुद्ध देय धनराशि अर्थात् रु० 400 पर ही आंकलित किया जाएगा।

कृपया उपराक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान
 विशेष सचिव

प्रेषक, श्री राज कुमार सिंह,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, १. समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश शासन।

२. उपाध्यक्ष,

विकास प्राधिकरण, लखनऊ / देहरादून।

आवास अनुभाग—४

लखनऊ : दिनांक : १५ फरवरी, १९९९

विषय : पट्टागत नजूल भूमि के फी—होल्ड हेतु आंकलित धनराशि डिमांड नोटिस जारी होने के ९० दिन के अन्दर जमा किये जाने पर २० प्रतिशत की छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि पट्टागत नजूल भूमि के फी—होल्ड हेतु जारी डिमांड नोटिस की सम्पूर्ण धनराशि नोटिस जारी होने के ९० दिन में जमा किये जाने पर २०% की छूट अनुमत्य है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जहाँ तक छूट का प्रश्न है, ९० दिन के अन्दर एक मुश्त भुगतान करने का अभिप्राय यह है कि ९० दिन में पूरा भुगतान होना चाहिए। यदि आंकलित सम्पूर्ण धनराशि २ या ३ तिथियों में किन्तु ९० दिन के अन्दर जमा हो जाती है तो आवेदक को २०% की छूट नियमानुसार प्रदान की जाय। कृपया तदनुसार नजूल भूमि के फी—होल्ड प्रकरणों में कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

रामकुमार सिंह
अनु सचिव

प्रेषक, श्री अतुल कुमार गुप्ता,
 सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन।
 सेवा में 1. समस्त मण्डलायुक्त,
 उत्तर प्रदेश।
 (समस्त जिलाधिकारीयों को अपने स्तर से फैक्स द्वारा सूचित रिने हेतु)
 2. समस्त जिलाधिकारी,
 उत्तर प्रदेश।
 3. उपाध्यक्ष,
 लखनऊ, / मंसूरी—देहरादून, विकास प्राधिकरण।

आवास अनुभाग—4

विषय : रिट याचिका संख्या—10817 / 99 फूलचन्द्र गुप्ता बनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.3.99 से नजूल नीति विषयक शासनादेश दिनांक 1.12.98 का कियान्वयन प्रदेश में अग्रिम आदेशों तक स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या—रिट 135 / 9—आ—4—99, दिनांक 22 मार्च, 1999 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया था। अब उक्त के क्रम में यह यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के विरुद्ध माननीय उच्चतम् न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका प्रस्तुत की गयी थी जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय नेदिनांक 12.5.99 को सुनवाई के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.3.99 को स्थगित कर दिया गया है। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.5.99 निम्नवत हैः— "Issue notice. Notice will indicate that the matter will be disposed of at the notice stage itself. In the meantime there shall be stay of the impugned order. Leave to amend the cause title.

इस प्रकार नजूल नीति विषयक शासनादेश दिनांक 1.12.98 पुनः प्रभावी हो गया है और इसके तहत फ्री—होल्ड की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त नीति के अनुसार जो भी कार्यवाही निष्पादित की जाय उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गयी विशेष अनुज्ञा याचिका 6880 / 99 राज्य सरकार बनाम फुलचन्द्र गुप्ता में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रखा गया।

जिन प्राधिकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचीका के पक्ष में अन्तरिम आदेश पारित कर स्थगन दिया गया है उनके सम्बन्ध में यथोचित विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के उपरान्त ही फ्री—होल्ड की कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
 सचिव

प्रेषक, श्री राजीव कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में, 1. समस्त मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग—8

विषय : नजूल भूमि को फी—होल्ड के रूप में परिवर्तित किये जाने के संबंध में त्वरित कार्यवाही।

महोदय,

नजूल भूमि को फी—होल्ड में परिवर्तित किये जाने की नीति के संबंध में आवास विभाग के पत्र संख्या—744 / नौ—आ—7—99—68एम / 99 दिनांक 13 फरवरी, 1999 द्वारा यह अवगत कराया गया था कि नजूल भूमि को फी—होल्ड किये जाने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा परीक्षण हेतु जो भी प्रार्थना—पत्र भेजे जायं उन पर प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में आख्या उपलब्ध करा दी जाय। इस अवधि में संबंधित स्थानीय निकाय का अभितम प्राप्त न होने पर इसे लापरवाही मानते हुए गम्भीरता से लिया जायेगा और दोषी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

2. शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि अब भी नजूल भूमि को फी—होल्ड किये जाने के प्रकरणों में नगर निगमों / नगर पालिकाओं में जाँच हेतु प्रार्थना—पत्र लंबित है। जिसके कारण एक माह की निर्धारित अवधि में डिमान्ड नोटिस जारी किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार प्रकरणों को अत्यन्त गम्भीरता से लिया गया है और पन: निर्देशित किया जा रहा है कि जिलाधिकारी द्वारा परीक्षण हेतु भेजे गए फी—होल्ड प्रार्थना—पत्र पर अपनी आख्या एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दें। इस अवधि के उपरान्त यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आया जिसमें वांछित आख्या प्रेषित नहीं की गयी है तो संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध कठोरतम् कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

राजीव कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या : 1607(1) / नौ—8—99 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :—

1. सचिव आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

अवधेश नारायण
अनुसचिव